पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब
1/11/22 अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/11/22
को पेश हों।

14/11/2022 पत्रावली पर मूल वाद में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र होने पर तलब की गई। मूल वाद में निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर मूलवाद खारिज किया जा चुका है अब दरख्वास्त निष्पादन। प्रा० पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज किया जाता है पत्रावली मिसल समाप्त होकर दफ्तर हो।

उप-जिला अधिकारी
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.27 11:20:35 IST
Reason: SelfAttested

Sep 04, 2022, 07:22